Order or proceeding with Signature of Presiding Omcer

23/9/1

स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में उमयपक्षों द्वारा प्रकरण रखे जाने के अनुरोध से प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप०। प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है। आहत राजकुमार पुत्र पर्वतसिंह स्वयं उप०।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अंतर्गत धारा 320 द०प्र०स० डॉकेट पर राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त एंव पहचान संबंधी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, सहित प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव द्वारा की गई।

उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अमियुक्त से राजीनामा बिना किसी मय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया ।

अमियुक्त पर मा०द०वि० की घारा २९४, ३४१, ३२३, ५०६ बी, ३४ के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 294, 506 बी न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबिक शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

, अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 341, 323, 506 बी, 34 माठद०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रमाव अमियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अमियुक्तगण के प्रतिमृति व ब्रधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जात शुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार में प्रेषित हो।

पीर्छमीन अधिकारी स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत गोहद 2 HOGHIL THEC

121) and